ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-4* Issue-2* May- 2019
Anthology : The Research

विकास की और अग्रसर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं असुरक्षित होते बुजुर्ग

नीलू कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर,
अर्थ शास्त्र विभाग,
वी0श0के0च0 राजकीय महाविद्यालय,
डाकपत्थर (विकासनगर)
देहरादून (उ0ख0)

सारांश

बुढ़ापा जीवन चक्र का अन्तिम पड़ाव है। विभिन्न लेखकों एवं संस्थाओं ने इसके लिए थोड़ा बहुत अन्तर के साथ अलग–अलग उम्र को माना है। जहाँ WTO ने बुढ़ापे के लिए 60–74 वर्श की आयु को इंगित किया है वहीं 1980 में UN ने इसके लिए 60 वर्श की उम्र को माना है। भारत के संदर्भ में Census of India ने भी 60 वर्श की उम्र को बुढ़ापे की उम्र माना है जो सरकारी नौकरी के लिए भारत में सेवानिवृत्ति की उम्र हैं। आजादी के बाद भारत में बुजुर्गों की संख्या में तेजी से वुद्धि हुई है। इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि 1951 में जहाँ बुजुर्गों की संख्या 20.19 मिलियन (कुल जनसंख्या का 5.5 प्रतिशत) थी वह 2001 में 77 मिलियन (कुल जनसंख्या का 7.5 प्रतिशत) हो गयी। बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि का कारण अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, रहन–सहन के स्तर में सुधार, षिक्षा में वृद्धि इत्यादि है। भारत में जैसे–जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे–वैसे उनकी समस्याओं भी बढ़ती जा रही है।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, भारतीय संविधन।

प्रस्तावना

अर्थव्यवस्था के विकास के साथ–साथ सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं। एक तरफ आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण की प्रवृत्ति, शिक्षा का विकास, वैश्वीकरण, जीविकापार्जन के कारण शहर की और पलायन, संयुक्त परिवार प्रथा के टूटने एवं दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी मुद्रा–स्फीति जैसी आर्थिक समस्याओं के कारण बुजुर्ग असुरक्षित होते जा रहे हैं। उनके सामने आर्थिक कठिनाइयाँ, भावनात्मक सहयोग की कमी, अकेलापन एवं देखभाल की कमी आम बात होती जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा बुजुर्गों की आर्थिक एवं अन्य तरह की सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धाआश्रम, अनपूर्णा योजना, राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कई एन0जी0ओ0 भी इसके लिए कार्य कर रहे हैं। किन्तु एन0जी0ओ0 एवं सरकारी सहायता के बावजूद भी ये बुजुर्ग अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं और उनकी यह असुरक्षा समाज के सामने एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है। जिसका समाधान आवश्यक है। यह पेपर मुख्य रूप से द्वितीयक समंक एवं सामान्य सामाजिक अनुभव पर आधारित है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस पेपर का मुख्य उद्देश्य है :–

1. अर्थव्यवस्था के विकास एवं अर्थव्यस्था की आर्थिक समस्याओं का बजुर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

2. बुजुर्गों के सामने आनेवाली आर्थिक एवं अन्य मुख्य समस्याओं का अध्ययन करना एवं इन समस्याओं को दूर करने के लिए उपयुक्त सुझाव देना।

समस्या का कारण

किसी भी समस्या के समाधान के लिए समस्या के कारणों की खोज करना होता है। इस क्रम में हम देखते हैं कि असुरक्षित बुढ़ापे का मुख्य कारण बुजुर्गों की अपने बच्चों से अलग रहना है। बुजुर्गों को अपने बच्चों से अलग रहने के लिए जिम्मेदार दो मुख्य कारणों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। पहला, विकास की और अग्रसर भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं का और दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य आर्थिक समस्याओं का।

विकास की और अग्रसर भारतीय अर्थव्यवस्था का बुजुर्गों पर प्रभाव

पहला, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई 1976, 1980 एवं खासकर 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा उभर कर आया और परिवार को केवल दो बच्चों तक सीमित रखने की आवश्यकता महसूस की गई। धीरे–धीरे लोगों ने इसको अमल में भी लाना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आज एक सामान्य एवं षिक्षित परिवार एक या दो बच्चों की संख्या तक सीमित हो गई है। परम्परागत परिवार में जब एक दम्पत्ति के चार–पाँच या छः सात बच्चे भी रहते थे तो बुढ़ापे में कोई न कोई बच्चा माँ–बाप के सहारे एवं देखरेख के लिए जरूर उनके पास रहता था। बच्चों की यह नैतिक जिम्मेदारी भी होती थी कि वह बूढ़े माँ–बाप की देखरेख करें। कभी–कभी पाँच–छः लड़कियों का जन्म लड़का नहीं होने के कारण भी होता था और उसके पीछे एक तर्क बुढ़ापे में माँ–बाप की देखरेख करना भी था। किन्तु जैसे–जैसे शिक्षा का विकास एवं रूढ़िवादी और अंधविश्वासी धारणायें कम हुई है। परिवार भी एक या दो बच्चों की संख्या तक सीमित हो गई है। बच्चों की संख्या कम होने से बुढ़ापे में अकेलापन की समस्या पनप रही है।

दूसरा, अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। जहाँ पहले अधिकांश लोग कृषि कार्य करते थे और पूरा परिवार उसी में लगा रहता था। भले ही उनकी सीमान्त उत्पादकता कृषि क्षेत्र में शून्य क्यों न हो। ऐसे में पूरा परिवार साथ–साथ रहते थे और एक दूसरे की देखरेख करते थे। अब कृषि की जगह उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो रहा है। चूंकि अधिकांश औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र शहरों में है। अतः इसमें कार्य करनेवालों को शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। इस कारण गाँव में रहनेवाले बुजुर्ग अकेले हो जाते हैं एवं उन्हें आर्थिक एवं अन्य जिम्मेदारी निर्वहन में कठिनाई आती है। भारत में 1951 से 2001 तक विभिन्न व्यवसायों में जनसंख्या के वितरण को निम्न तालिका में देखा जा सकता हैः–

Table : 1
Occupational Distribution of Working Population in India
(From 1951 to 2001)

		Year					
S.NO	**Occupation**	**1951**	**1961**	**1971**	**1981**	**1991**	**2001**
1	Agriculture and allied activities	72-1	71-8	72-1	68-8	66-8	56-7
2	Industry	10-7	12-2	11-1	13-6	12-6	18-2
3	Services	17-2	16-0	16-8	17-6	20-5	25-1
	Total	100	100	100	100	100	100

Source : (i) Statistical Pocket Book1991(Delhi 1991), Table 1.4, P-5
(ii) Tata Services Ltd, Statistical Outline of India, 1992-98(Mumbai),
Table 37, P-43 and Statistical Outline of India 2009-10 (Mumbai 2010) Table 31, P-36

तीसरा संयुक्त परिवार की प्रथा का खत्म होना एवं एकल परिवार प्रथा का विकसित होना है। परंपरागत परिवार में दादा–दादी, चाचा–चाची, बुआ, ताऊ भी माँ–बाप के साथ–साथ होते थे। ऐसे में चाहे बूढ़े हो या बच्चे किसी की देख–रेख कोई समस्या नहीं रहती थी। किन्तु आज परिवार में माँ–बाप और एक या दो बच्चे होते हैं। बच्चे भी बड़े होकर पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं बूढे माँ–बाप अकेले हो जाते हैं।

चौथा कारण शिक्षा का विकास एवं नौकरी पेषे के कारण बच्चों का माँ–बाप से अलग रहना है। शिक्षा के विकास का अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं कि जहाँ 1951 में साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी। वह 2011 में बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई है (मिश्रा एंव पुरी, 2012) गाँव से स्कूल करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए या कभी–कभी प्रारंभ से ही माँ–बाप बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए शहर भेज देते है। इसके अतिरिक्त नौकरी करने के लिए इस वैश्वीकरण के युग में देश से विदेश तक बच्चों को जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बुजुर्ग घर पर अकेले हो जाते है।

पाँचवा, महिलाओं में शिक्षा का विकास एवं नौकरी की प्रवृत्ति भी इसका एक प्रमुख कारण हैं। पहले महिलाओं में शिक्षा का विकास बहुत कम था। महिलायें यदि थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी थी तो बहुत कम महिलायें नौकरी करती थी या कोई अपना व्यवसाय चलाती थी। परन्तु आज महिलाओं में तीव्र गति से शिक्षा का विकास एवं नौकरी या स्वंय का व्यवसाय करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। जहाँ महिलाओं में साक्षरता दर प्रतिशत था वह 2011 में बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह महिलाओं में स्वरोजगार, नियमित रोजगार एंव अनौपचारिक श्रम के रूप में 1972-73 से 2009 -10 तक प्रतिशत निम्न प्रकार बढ़ा हैः–

Table : 2

Employment Status by Category of Employment 1972-73 to 2009-10

Year	Category	Rural		Urban	
Self Employment					
		Male	**Female**	**Male**	**Female**
1972-73		65.9	64.5	39.2	48.4
1993-94		57.9	58.5	41.7	45.4
2004-05		58.1	63.7	44.8	47.7
2009-10		33.5	55.7	41.1	41.1
Regular Employment					
		Male	**Female**	**Male**	**Female**
1972-73		12.1	4.1	50.7	27.9
1993-94		8.3	2.8	42.1	28.6
2004-05		9.0	3.7	40.6	35.6
2009-10		8.5	4.4	41.9	39.3
Casual Labour					
1972-73		22.0	31.4	10.1	23.7
1993-94		33.8	38.7	16.2	26.2
2004-05		32.9	32.8	14.6	16.7
2009-10		38.0	39.9	17.0	19.6

Source : Subhani Chowdhary “Employment India: where does the latest data show” ? Economic and Political weekly, August 6, 2011 Table 3

उपरोक्त तालिका को देखकर महिलाओं में लगातार नौकरी की बढ़ती हुई प्रवृति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस काम–काज के कारण महिलाओं को दिनभर घर से बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में यदि बुजुर्ग परिवार के साथ भी हो तो दिन में घर में उनकी देख–रेख करने वाला कोई नहीं रह जाता है, जिससे वे अकेला और असुरक्षित महसूस करते हैं।

छठा, उपरोक्त के अतिरिक्त एक कारण आधुनिक समय में लोगों में बढ़ती हुई शहरीकरण की प्रवृत्ति भी है। लोग पढ़ाई, नौकरी, स्वास्थ्य की देख–रेख आधुनिक सुख–सुविधायें यातायात एवं संचार के साधनों के विकास एवं कभी–कभी शहरी चकाचौंध के कारण भी अपने बच्चों एवं परिवार के साथ शहर में चले जाते हैं और बुजुर्ग घर में अकेले रह जाते हैं।

अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का बुजुर्गों पर प्रभाव

गांव से शहर की और पलायन का दूसरा कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएँ है जिनमें मुख्य रूप से गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जानेवाली मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित लोगों के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी, मुद्रा प्रसार इत्यादि है। इन आर्थिक समस्याओं के कारण ग्रामीण युवकों को घर छोड़कर शहर की और पलायन करना पड़ता है। जिन शहरों में शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार अवसरों का अभाव है उन्हें भी रोजगार की तलाश में एक शहर, राज्य एवं देश से दूसरे शहर, राज्य या देश में जाना पड़ता है और बुढ़े माँ–बाप घर में अकेले रह जाते हैं।

पुराने समय में शहर की और लोगों के पलायन का कारण गैर आर्थिक था। इनमें जलवायु, बाढ़, सुखा, सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्ध विच्छेद जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक कारण महत्वपूर्ण थे। किन्तु आज जब गांवों की जनसंख्या बढ़ने के कारण कृशि पर जनसंख्या का भार बढ़ रहा है, मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, जिससे गरीबी भी बढ़ रही है। 19 मार्च 2012 के योजना आयोग के अनुसार अभी भी गाँवों में 33.8 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 20.9 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है। चूंकि गाँव में कृशि आधारित रोजगार के अवसरों का अभाव है एवं अन्य लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी उस गति से विकास नहीं हुआ है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार मिल सके। जो थोड़ी बहुत आय भी होती है वह बढ़ती हुई मुद्रा प्रसार के कारण आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कम होती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण युवकों को अपने जीविकोपार्जन के लिए शहर की और पलायान करना पड़ता है।

आज अनेक अर्थषास्त्री एवं अन्य व्यक्ति भी इस बात से सहमत हैं कि पलायन का मुख्य कारण आर्थिक समस्याएँ हैं। पी0साईनाथ के अनुसार पिछले दो दषकों में काफी संख्या में ग्रामीण लोग शहर की और जाने के लिए इसलिए मजबूर हो गये कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृशि एवं इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में उनके व्यवसाय समाप्त हो गये थे। इसके अतिरिक्त शहर में गाँवों की अपेक्षा मजदूरी की दर का अधिक होना भी गरीब श्रमिकों के शहर की और पलायन का एक कारण है। इसके लिए हम 1961 से 2011 तक ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या वितरण की प्रवृत्ति को निम्न तालिका में देख सकते हैं :–

Table :3

Rural- urban distribution of India's Population 1961-2011

Year	Rural population	Decadal growth rate of rural population	Urban population	Decadal growth rate of Urban population
1	2	3	4	5
1961	360.3		78.9	
1971	439.0	21.8	109.1	38.3
1981	523.9	19.3	159.5	46.2
1991	628.7	20.0	217.6	36.4
2001	742.5	18.1	286.1	31.5
2011	833.1	12.2	377.1	31.8

Source : Office of Registrar general of India, Provisional population tables, part 2 of census of india 2001 and census of india 2011.

जनसंख्या का पलायन भी उन शहरों में ज्यादा हुआ है जहाँ औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों का विकास अधिक हुआ है तथा रोजगार की संभावनाएं अधिक है। इसे हम आगे की तालिका में देख सकते हैं :–

Table: 4
Percentage Distribution of Population by Broad Age Group, Major States (1961-2001)

S.No.	State	0-14		15-59		60 +	
		1961	2001	1961	2001	1961	2001
1	Andhra Pradesh	39.54	32.07	54.23	60.32	6.23	7.61
2	Bihar	42.32	41.54	52.07	52.01	5.62	6.45
3	Gujrat	42.89	32.84	52.17	60.25	4.94	6.91
4	Haryana	Na	35.99	Na	56.49	Na	7.52
5	Karnataka	42.16	31.91	52.11	60.40	5.73	7.69
6	Kerala	42.64	26.08	51.53	63.44	5.84	10.48
7	Madhya Pradesh	40.82	38.14	54.02	54.66	5.16	7.14
8	Maharastra	40.67	32.14	54.07	59.12	5.27	8.74
9	Orissa	39.10	32.23	55.23	58.50	5.67	8.27
10	Punjab	43.57	31.39	49.87	54.57	6.56	9.03
11	Rajesthan	42.66	40.10	52.19	53.12	5.14	6.78
12	Tamilnandu	37.61	26.96	56.79	64.15	5.60	8.89
13	Uttarpradesh	40.50	80.83	53.22	52.10	6.29	7.07
14	West bangal	40.93	33.28	54.06	59.60	5.01	7.12
	All India	**41.0**	**35.4**	**53.3**	**57.1**	**5.6**	**7.5**

Source : V.S James, “Glorifying Malthus, current debate on demographic dividend in India” Economic and political weekly, june 21, 2008, Table 1, p-66

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि कार्यशील उम्र 15–59 वर्श के लोगों की संख्या की वृद्धि दर 1961–2001 की बीच केरल में 10 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, महाराश्ट्र तथा कोलकत्ता में 5 प्रतिशत रही है। जब इस कार्यषील उम्र 15–59 वर्श के लोगों की संख्या बिहार, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान में घटी है। इसका कारण इन राज्यों में रोजगार अवसरों की अपेक्षाकृत कमी है। जिस कारण यहाँ पलायन भी कम हुए हैं।

किन्तु पलायन चाहे जिस कारण से हो यह बुजुर्ग लोगों को अकेला एवं असहाय बनाते हैं। इसके कारण बुजुर्गों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें एक प्रमुख समस्या आर्थिक असुरक्षा है। इस पेपर में मुख्य रूप से इसी आर्थिक असुरक्षा के विभिन्न रूप तथा उसे दूर करने के सुझावों का उल्लेख किया गया है।

बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा की आवष्यकता एवं महत्व

आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता बुजुर्गों के लिए भी उतनी ही होती है जितनी किसी अन्य उम्र के लोगों की होती है। आज के समय में बिना मौद्रिक साधन के किसी भी आवष्यकता की पूर्ति करना संभव नहीं होता है। खाने–पीने, कपड़े, घर, स्वास्थ्य जैसी आवष्यक आवश्यकताओं के अतिरिक्त यातायात, मनोरंजन सभी के लिए मौद्रिक साधनों की आवश्यकता होती है। अतः जरूरी है कि बुजुर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहें। वैसे बुजुर्ग जो अपने बच्चों एवं परिवार के साथ रहते हैं उनकी देखरेख चाहे आर्थिक, भावनात्मक, या षरीरिक हो वह बहुत हद तक हो जाती है। हालांकि बच्चों के साथ रहने पर भी कुछ की स्थिति खराब होती है। किन्तु जो बुजुर्ग बच्चों से अलग बिल्कुल अकेले रहते है। इसके अन्तर्गत कई तरह के बुजुर्ग आते हैं जिनमें जुड़ी परेशानियाँ अलग–अलग है। समझने की सुविधा के लिए इसे हम निम्न श्रेणियों में रख सकते हैं :–

तालिका :– 5
बुजुर्गों की श्रेणियां एवं उनसे जुड़ी समस्याएँ

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	समस्याएँ
1	वैसे बुजुर्ग जो आर्थिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम है।	अकेलापन
2	वैसे बुजुर्ग जो आर्थिक रूप से तो सक्षम है लेकिन शारीरिक रूप से अस्वस्थ या कमजोर है।	देखरेख एवं भावनात्मक सहयोग की कमी।
3	वैसे बुजुर्ग जो शारीरिक रूप से तो सक्षम है लेकिन आर्थिक परेषानियाँ है।	आर्थिक सहायता की जरूरत।
4	वैसे बुजुर्ग जो आर्थिक एवं शारीरिक दोनों तरह से सक्षम नहीं है।	आर्थिक सहयोग एवं देखभाल की आवश्यकता।

1. उपरोक्त तालिका के आधार पर प्रथम श्रेणी में खासकर वैसे बुजुर्ग आते हैं जो किसी सरकारी या गैर सरकारी सेवा में रहे हैं ओर उसमें पेंषन की व्यवस्था है तो उन्हें आर्थिक रूप से दूसरे के उपर निर्भर रहने की आवष्यकता नहीं होती हैं।
2. दूसरी श्रेणी में वैसे बुजुर्ग आते हैं जो षुरू में कोई अपना व्यवसाय चलाते हों या कोई अन्य छोटे–बड़े काम, कृशि या दैनिक मजदूरी करते है। किन्तु उम्रदराज हो जाने पर वे कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। इनमें कुछ व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम भी होते हैं और कुछ के सामने आर्थिक परेशानियाँ तो होती हैं साथ–साथ देखरेख करने वालों की भी आवश्यकता होती है।
3. तीसरी श्रेणी के बुजुर्ग यदि कार्य करने में सक्षम होते हैं परन्तु उनके पास कोई आर्थिक कार्य नहीं होता है करने के लिए । इस कारण से इनके सामने आर्थिक कठिनाइयाँ मुख्य रूप से होती है।
4. चौथी श्रेणी में आने वाले बुजुर्ग चूंकि शारीरिक एवं आर्थिक दोनों तरह से सक्षम नहीं होते हैं। ये बीमार, कमजोर या बिल्कुल किसी काम करने योग्य नहीं होते है। इसलिए इनके सामने आर्थिक कठिनाई के साथ–साथ देखरेख की भी कठिनाई आती है अकेले करने के कारण। इस तरह के बुजुर्गों को खास देखभाल की आवष्यकता होती है।

सरकार की और से बुजुर्गों के लिए योजनायें

भारतीय संविधान की धारा 41 राज्य को आर्थिक योग्यता एवं विकास की सीमाओं के अन्तर्गत इसके नागरिकों को बेरोजगारी वृद्धावस्था, बीमारी और इस तरह की अन्य स्थितियों में सहायता करने के लिए निर्देशित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वृद्धाआश्रम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। Old Age Homes आदि योजनायें चलाई है। किन्तु सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं का लाभ बुजुर्गों तक कम पहुँच पाता है Old Age Homes की संख्या भी बुजुर्गों की संख्या के अनुपात में काफी कम है। इसके साथ ही वृद्धिवस्था पेंशन की राशि भी इतनी कम होती है कि पौश्टिक भोजन तो दूर बल्कि पेट भरना भी मुश्किल होता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है दो मुख्य कारण हैं जिसका प्रभाव बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा पड़ा है और जिसके कारण बुजुर्ग अकेला, असहाय, भावनात्मक एवं आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। इनमें पहला कारण विकास की और अग्रसर भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न विषेशताएँ हैं, जो आज के समाज की आवश्यकता भी है और किसी भी विकसित होते समाज की विशेषता भी होती है। उनमें मुख्य रूप से शिक्षा का विकास, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, संयुक्त परिवार प्रथा का टूटना एवं एकल परिवार प्रथा का विकसित होना महिलाओं में शिक्षा एवं रोजगार की वृद्धि, इत्यादि है।

दूसरा कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी, मुद्रा प्रसार इत्यादि हैं। इन्हीं दो कारणों से युवाओं का पलायन एक से दूसरे शहर, राज्य या दूसरे देश में हो रहा है और जाने–अनजाने बुजुर्गों को अकेला एवं असुरक्षित रहने को मजबूर करता है। किन्तु बुजुर्गों की यह असुरक्षा पूरे समाज एवं देश के सामने एक चुनौती है। जिसका समाधान करना समाज, सरकार एवं व्यक्ति विशेष का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए।

समाधान के सुझाव

1. सर्वप्रथम, बुजुर्गों/वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सहायता या अन्य तरह की सहायता के लिए जो भी सरकारी या गैर सरकारी योजनाएँ चलाई जाती है उसका सख्ती से पालन किया

जाना चाहिए। क्योंकि इसके अभाव में बुजुर्गों को उसका सम्पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है।

2. सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि सभी वृद्ध इसके दायरे में आ सकें। साथ ही सरकार द्वारा दी गई पेंशन की राशि इतनी अवश्य होनी चाहिए कि बुजुर्ग अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ–साथ आराम की जिन्दगी बसर कर सकें।
3. राशन की दुकानों से बुजुर्ग लोगों को खाने–पीने की सभी आवश्यक चीजें मुफ्त एवं मासिक आधार पर एवं नित्य खराब होने वाली चीजें जैसे – दूध, फल, सब्जी इत्यादि दैनिक आधार पर वितरित की जानी चाहिए।
4. सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जहाँ वे अपना इलाज करा सकें। यदि वे घर से अस्पताल या डाक्टर के यहां जाना चाहते हैं तो मात्र एक फोन कॉल पर उनके लिए वाहन सुविधा, नर्स, डाक्टर इत्यादि उपलब्ध होना चाहिए। इन सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देख–रेख के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समय से इनकी स्वास्थ्य सुरक्षा हो, अन्यथा ये बुजुर्ग अस्पतालों के चक्कर काटते रहेंगे।
5. Old Age Homes की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही इसका विस्तार हर गांव, कस्बे एवं छोटे से छोटा शहर में किया जाना चाहिए। बड़े शहरों में भी इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हर बुजुर्ग यदि वे इसमें जाना चाहें तो इसके दायरे में आ सकें।
6. वैसे बुजुर्ग जिन्हें आर्थिक कठिनाईयां हैं किन्तु वे षरीर से स्वस्थ्य एवं सक्षम हैं तो उन्हें आपस में कुछ बुजुर्गों को मिलाकर स्वंय सहायता समूह तैयार करना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक–दूसरे की सहायता की जा सकें।
7. वैसे व्यक्ति जो दैनिक या साप्ताहिक आधार पर रोजगार में लगे हैं, किसी प्राईवेट नौकरी में हैं या कोई स्वंय का व्यवसाय चलाते हैं, उन्हें प्रारंभ से बचत करने की आदत डालनी चाहिए। ताकि वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े।
8. इसके अतिरिक्त, बच्चों में नैतिक एवं परम्परागत मूल्यों को अपनाने के लिए स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। समाज में नुक्कड़–नाटकों, मीडिया, सिनेमा, टी0वी0 इत्यादि के माध्यम से भी इसका संदेश दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे माँ–बाप की परवरिश करना अपना नैतिक कर्तव्य समझे।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं अन्य छोटे–मोटे सहायक उद्योगों को स्थापित करके, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं गुणवता में सुधार करके, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देकर, इत्यादि द्वारा गांव से शहर की और युवाओं के पलायन को रोका जा सकता है। जिससे ये बुढापे में अपने माँ–बाप की देखरेख कर सकें।
10. उपरोक्त उपायों को अपनाकर बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सहायता दी जा सकती हैं एवं काफी हद तक उनकी अन्य समस्याएँ भी दूर की जा सकती है। जिससे बुजुर्ग अपने जीवन के शेष दिन आराम से गुजार सकें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *The viewspaper.net/old age problem_in India/ "Old age problem" Feb 21, 2011.*
2. *Rameezarasheed.blogspot.com/challenge faced by-senior-citizens.ht,.April 2013.*
3. *www.Helpageindiaprogramme./org, activity informal problems of the elderly.*
4. *www.youthniawaaz.com.2009-07 old age problems in India: A crisis.*
5. *Mishra & Puri, Indian Economy, "Some Demographic Issues" chapter 9, P-130, 134, 2012.*